अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणार्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकःएस.सी./एस.टी.प्रकोष्ठ/2011/485 दिनांकः 27/6/2011

प्रति,

विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक

समस्त अध्ययनशालाऐं,

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्राचार्य/प्राचार्या,

संबंधित महाविद्यालय की ओर,

विषय :– छात्रवृति विशेष कार्य योजना वर्ष 2011–12 बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि, कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर (आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के पत्र क्रं./अ.जा.क./छात्रवृत्ति/2011–12/895 दिनांक03.06.2011 की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। जिसके नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, समयावधि का विशेष ध्यान दिया जावें।

अतः अध्ययनशालाओं में एवं महाविद्यालयों में प्रवेशित बेबर स्कीम के अंतर्गत एवं पेमेंट सीट के अंतर्गत छात्र–छात्राओं का उल्लेख अवश्य करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रभारी

(अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणार्थ प्रकोष्ठ)

कार्यालय कलेक्टर, जिला-ग्वालियर मध्यप्रदेश

(आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

मोब..नं.0751-2330948

क्रमाक / आ.जा.क. / छात्रवृत्ति / 2011-12 / 895 ग्वालियर, दिनांक 3/6/11

छात्रवृत्ति विशेष कार्य योजना वर्ष 2011-12

प्रति,

(1) रजिस्ट्रार (नोडल अधिकारी)
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

(2) अधिष्ठाता / प्राचार्य (नोडल अधिकारी)
शास. .... महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

(3) प्राचार्य (नोडल अधिकारी)
शा.उ.मा. / हाईस्कूल .... जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय : **वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कार्य को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समय सीमा में सम्पन्न कराने बाबत्।**

अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वर्ष 2011-12 के लिये स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समय सीमा में सम्पन्न कराने बाबत् शासन आदेश सभी संस्थाओं को पूर्व से ही उपलब्ध कराये गये हैं तदनुसार कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस वर्ष 2011-12 के लिये कुछ विशिष्ट मार्गदर्शी बिन्दु तैयार किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

(1) जो भी शासन आदेश इस विभाग द्वारा प्रसारित किया जावे वह नोडल केन्द्र के साथ-साथ अधीन आने वाली अशासकीय संस्थाओं में भी लागू होंगे, इसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी का होगा। तथा नोडल अधिकारी उन्हीं संस्थानों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करेगा जिसका संकुल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि किसी नोडल अधिकारी द्वारा संकुल के बाहर की संस्था की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

(2) जिन नोडल केन्द्रों ने वर्ष 2011-12 के लिये छात्रवृत्ति फार्म प्राप्त नहीं किये हैं वह अधीन आने वाली सभी संस्थाओं सहित नवीन एवं नवीनीकरण फार्म आदिम जाति कल्याण विभाग के संभागीय कन्या छात्रावास कम्पू से

[illegible] से दिनांक 15.6.2011 तक प्राप्त कर लें, विलम्ब के लिये नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(3) शासन निर्देशानुसार छात्रवृत्तियों की स्वीकृतियां दिनांक 31 अगस्त 2011 तक आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर में पहुंचाई जावे, ताकि स्वीकृति अनुसार आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जा सके। स्वीकृतियां विलम्ब से प्राप्त होने पर यदि राशि की अनुपलब्धता होती है तो नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। नोडल अधिकारी अशासकीय संस्थाओं की छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय अशासकीय संस्थाओं में आकस्मिक निरीक्षण तीन बार करें, तीन बार में जो छात्र उपस्थित मिलें उनकी ही छात्रवृत्ति स्वीकृत करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजें।

(4) कक्षा 1 से 10 तक की समस्त वर्गो (SC/ST/OBC) की छात्रवृत्तियों का पूरे वर्ष का भुगतान 30 सितम्बर 2011 तक एक ही किश्त में किया जाना सुनिश्चित हो।

(5) छात्रवृत्ति अभिलेखों का पूरी तरह परीक्षण कर लेना चाहिये, किसी प्रकार की लापरवाही से यदि अपात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो इसे गम्भीर अनियमितता मानते हुये वैधानिक कार्यवाही होगी।

(6) छात्र/छात्रा के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि सच्चाई छिपाकर असत्य प्रमाण–पत्रों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त की जाती है तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा के साथ–साथ वह अधिकारी भी दोषी होंगे जिनके माध्यम से उक्त अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं। यदि अभिलेख प्रस्तुत करने वाली संस्था अशासकीय है तो भी संस्था प्रमुख को दोषी मानकर पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।

(7) विशेष कर आय प्रमाण–पत्र में छात्र/छात्राओं द्वारा पालक का व्यवसाय छिपाकर झूठा आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति की पात्रता हासिल करली जाती है। इसके लिये छात्रों के प्रवेश फार्म एवं छात्रवृत्ति फार्म में पालक के व्यवसाय का मिलान अवश्य किया जावे तथा जो भी सम्भव हो ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे अपात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत न हो सके।

(8) छात्र/छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की छायाप्रतियों को मूल अभिलेख से मिलान किया जावे ताकि किसी भी प्रकार से फर्जी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जा सकें। यदि अपात्र छात्र–छात्राओं को भुगतान होता है तो नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

ADIM-RK

(9) नोडल अधिकारी को चाहिये कि वह अधीन आने वाली संस्थाओं में छात्रवृत्ति अभिलेखों के अनुसार निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन जरूर करें, ताकि छात्र/छात्रा से सम्बन्धित वास्तविक जानकारी का आकलन किया जा सके। नोडल अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर राशि प्रदाय की जाती है यदि अपात्र छात्र/छात्राओं को भुगतान होता है तो नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(10) प्रवेश के समय छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार यदि शुल्क प्रतिपूर्ति की पात्रता आती है तो छात्र/छात्राओं से शुल्क न लिया जाकर संस्था प्रमुख नोडल अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही कर शुल्क की प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर से करायें। फीस की प्रतिपूर्ति शासकीय नियमानुसार शासकीय महाविद्यालयों में लगने वाली फीस के बराबर ही की जावेगी।

(11) अशासकीय महाविद्यालय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करने से पूर्व अपने स्तर पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल टी.सी आदि अभिलेखो का परीक्षण एंव भौतिक सत्यापन करें। यदि किसी छात्र–छात्रा के अयोग्य होने पर भी छात्रवृत्ति एवं फीस का भुगतान किया जाता हैं तो राशि सम्बधित संस्था से वसूल की जावेगी।

(12) जिन अशासकीय संस्थाओं के लिये नोडल केन्द्र पूर्व से ही निर्धारित है उन अशासकीय संस्थाओं को यदि कक्षा वृद्धि अन्य पाठ्यक्रम की मान्यता शासन/विभाग से प्रदान की जाती है तो उनके लिये पृथक से नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, नोडल केन्द्र यथावत् रहेगा।

(13) नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धि छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति चैक भुगतान करते समय उनको परिचय–पत्र से मिलाया जावे बैंके भी परिचय–पत्र देखकर सम्बन्धित छात्र/छात्रा को ही छात्रवृत्ति का भुगतान करें।

(14) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10 से ऊपर) योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र–छात्राओं को एकाउण्ट पेई चैक से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जावे जो सम्बन्धित छात्र/छात्राओं द्वारा बैंक में स्वयं के खाते में चैक जमाकर भुगतान प्राप्त किया जायेगा।

(15) कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की छात्रवृत्ति केवल स्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत की जावेगी कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्रवृत्ति प्रथम बार अस्थाई

ADIM-RK

जाति प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकेगी। परन्तु आगामी वर्ष संबंधित छात्र/छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(16) यदि छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आ.जा.क. विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरित की जाये। नियमों की जानकारी न होने पर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिये।

(17) गत वर्ष 2010–11 में भुगतान की गयी छात्रवृत्ति के बैंक स्क्रोल कुछ संस्थाओं से अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं ऐसी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी राशि का समायोजन बैंक स्क्रोल प्राप्त होने के पश्चांत ही मान्य किया जावेगा। अन्यथा भुगतान लम्बित मानते हुये ऑडिट आपत्ति आने पर नोडल अधिकारी पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।

(18) छात्रवृत्ति भुगतान के पश्चात् नोडल अधिकारी को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि उनके नोडल केन्द्र को उपलब्ध करायी गयी राशि का शत–प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है तथा कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लिये शेष नहीं है।

(19) संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से छात्र/छात्रा परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय एवं आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर में अनावश्यक परेशान होकर चक्कर लगाते रहते हैं जिससे उनका पढ़ाई का समय नष्ट होता है जो छात्रों के उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यह शासन की मंशा के विपरीत भी है। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति सम्बन्धी समस्त जानकारी संस्था में ही उपलब्ध कराई जावे ताकि छात्र/छात्रा इधर–उधर भटकने पर मजबूर नहीं हों। यदि किसी संस्था द्वारा शासन आदेशों के विपरीत कार्य किया जाता है तो अत्याचार अधिनियम के तहत् संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं।

(20) सत्र समाप्ती के पश्चात शेष बची अवितरित राशि नोडल केन्द्र के माध्यम से चालान द्वारा सम्पूर्ण विवरण सहित शासन को वापस जमा कराई जावें। चालान हैड निम्नानुसार है –

"0250–आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण तथा अन्य प्राप्तियॉ"

ADIM-RK

(21) छात्रवृत्ति स्वीकृति की दरें एवं नवीन नियम निम्नानुसार हैं :–

क्र.	छात्रवृत्ति का प्रकार	पात्रता	दरें एवं अवधि
1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति :		
(i)	कक्षा 1 से 5 तक की कन्याओं के लिये छात्रवृत्ति	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिये	जून से मार्च दस माह के लिये 15 रुपये प्रतिमाह दस माह के लिये 150/– रुपये प्रति छात्रा
(ii)	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 तक के छात्र व छात्राओं के लिये	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिये	जून से मार्च दस माह के लिये कक्षा 6 से 8 बालक 20/– प्रतिमाह बालिका 30/– प्रतिमाह
(iii)	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 छात्र–छात्राओं के लिये	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिये	जून से मार्च दस माह के लिये कक्षा 9 से 10 बालक 60/– प्रतिमाह बालिका 80/– प्रतिमाह
(v)	कन्या प्रोत्साहन छात्रवृत्ति (मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ–12–33/ 2003/25/4 भोपाल, दिनांक 09.07.2003 के अनुसार)	(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र होना चाहिये। (2) पालक की आय आयकर दाता की सीमा से कम होना चाहिये।	• कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 500/– प्रति वर्ष। • कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 1000/– प्रति वर्ष। • कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 3000/– प्रति वर्ष नोट : भुगतान समान एक किश्त में किया जावे।
(vi)	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	(1) अ.जा./अ.ज.जा. का स्थाई जाति प्रमाण पत्र होना चाहिये। (2) मूल निवासी प्रमाण–पत्र (3) आय सीमा निम्नानुसार है	बिन्दु "ई" अनुसार

विभिन्न छात्रवृत्तियों की आय सीमा निम्नानुसार है :– केवल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति :'–

(अ) अनुसूचित जाति के छात्र के पालक की वार्षिक आय 2,00,000/– होने पर पूरी छात्रवृत्ति तथा पूरी फीस की पात्रता होगी।

(ब) अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के पालकों की आय 2,00,000 से 3,00,000 लाख है। उनको केवल आधी फीस की पात्रता होगी।

ADIM-RK

(स) अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं की छात्रवृति दरे।

दरें बालक एवं बालकाओं के लिए			
क्र.	ग्रुप	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1.	I	1500	550
	II	820	530
	III	570	300
	IV	380	230

आयुक्त अनुसूचित जाति के पत्र क्र. शिक्षा–1/10–11/08569 दिनांक 12.01.2011.

अनुसूचित जनजाति :–

(अ) अनुसूचित जनजाति के लिये आय सीमा 1,45,000/– रुपये तक पूरी फीस छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

(ब) अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के पालकों की आय रू. 145000/– से रू. 300000/– तक केवल आधी फीस की पात्रता होगी।

(स) जनजाति छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं :–

ग्रुप	दरें (बालक–बालिका समान)	
	SC/ST छात्रावासी	गैर छात्रावासी
I	1500	330
II	510	330
III	355	185
IV	235	140

(आयुक्त अनुसूचित जाति विकास कल्याण के पत्र क्रमांक शिक्षा–/2010–11/8569 भोपाल, दिनांक 12.01.2011 के अनुसार)

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र/छात्रा जिन्हें छात्रावास में निःशुल्क लॉजिंग/बोर्डिंग उपलब्ध हैं उन्हें छात्रावासी छात्रवृत्ति दर 1/3 के अनुसार छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) की पात्रता होगी तथा यदि वह शासकीय मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहते हैं उन्हें छात्रावासी (निर्वाह भत्ता) दर पर छात्रवृत्ति प्रदाय होगी।

(कार्या. अनुसूचित जाति विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/शिक्षा–1/ ऑडिट आपत्ति/2007–08/8338 भोपाल, दिनांक 15.01.2008)

2. **अस्वच्छ धन्धा छात्रवृत्ति :**

(i) अस्वच्छ धंधे में लगे होने सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिये। जैसे शुष्क शौचालयों में मैला सफाई, मरे जानवरों का चमड़ा निकालने/छीलने/पकाने का व्यवसाय।

(ii) एक पालक के केवल दो ही बच्चों को पात्रता होगी।

(iii) अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति पाने वालों को दूसरी छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

ADIM-RK

(iv) एक साल अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

(v) इस छात्रवृत्ति का वितरण राज्य छात्रवृत्ति के समान एक किस्त में ही किया जावेगा।

अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति एवं भुगतान के पूर्व निम्नानुसार जांच दल गठित किये जाकर सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित छात्र–छात्रा जिन्हें अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा रही है, के अभिभावक अस्वच्छ धंधा कार्यो में संलग्न हैं।

(1) क्षेत्र संयोजक / मण्डल संयोजक / सम्बन्धित प्राचार्य

(2) सरपंच / उप सरपंच / वार्ड मेम्बर

(3) पटवारी / ग्राम सहायक / प्राथमिक / माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक

उपरोक्तानुसार जांच दल की अपनी रिपोर्ट दिनांक 30 अगस्त 2010 तक प्रस्तुत करें।

(vi) अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं :–

कक्षा	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
3 से 10 छात्रवृत्ति	700 / – प्रतिमाह	110 / – प्रति माह
3 से 10 अनुदान	1000 / – प्रति वर्ष	750 / – प्रति वर्ष

नोट : उपरोक्तानुसार अनुदान छात्रवृत्ति के अतिरिक्त दिया जावेगा।

छात्रवृत्ति का भुगतान शाला खुलने से 10 माह के शैक्षणिक सत्र के लिये देय होगा।

(आयुक्त अनुसूचित जाति विकास भोपाल के पत्र क्रमांक / शिक्षा–1 / न.क. / 2004 / 137 भोपाल, दिनांक 12.04.2004 के अनुसार)

3. <u>पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति</u> :

(1) **राज्य छात्रवृत्ति** : कक्षा 6 से 10

<u>पात्रतायें</u> :

(i) पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिये।

(ii) पालक की वार्षिक आय आयकर दाता की सीमा से कम होना चाहिये।

(iii) दस एकड़ सिंचित से अधिक जमीन नहीं होना चाहिये।

(iv) दरें निम्नानुसार हैं :–

कक्षा 6 से 8	बालक 20 / – प्रतिमाह	
	बालिका 30 / – प्रतिमाह	जून से मार्च
कक्षा 9 से 10	बालक 30 / – प्रतिमाह	
	बालिका 40 / – प्रतिमाह	

(2) **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति** :

(i) पिछड़ा वर्ग का स्थाई जाति प्रमाण पत्र होना चाहिये।

(ii) पालक की वार्षिक आय सीमा रुपये 75,000/– तक पूरी छात्रवृत्ति + पूरी फीस की पात्रता होगी। समान पाठ्यक्रम के लिये किसी शासकीय संस्था में ली जाने वाली फीस की सीमा तक देय होगी।

(म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–8–3/07/54–1 भोपाल, दिनांक 19.12.2007)

(iii) मध्यप्रदेश का निवासी अथवा मध्यप्रदेश से किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या विश्वविद्यालय या कोई समकक्ष परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो इसके पात्र होगें।

छात्रवृत्ति की दरें : मध्यप्रदेश राज पत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 26 सितम्बर 2003 में विस्तार से लिखा गया है जिसकी प्रति आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर के पृष्ठांकन क्रमांक 24/4–03/2003–04/2028 ग्वालियर, दिनांक 28.10.2003 द्वारा जिले के सभी महाविद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूलों/नोडल अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी थी। जिसमें छात्रवृत्ति नियम एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की विभिन्न दरों का उल्लेख है। तदानुसार कार्यवाही की जावे।

(i) विद्यालय स्तर की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की मासिक दरें निम्नानुसार हैं :– (केवल 10 माह हेतु)

कक्षा	दरें			
	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
11	100	110	50	60
12	100	110	55	70

(ii) महाविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति दरों का उपरोक्त राज पत्र में उल्लेख है।

नवीन योजनायें :

(1) पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना विनियम–2007 :

(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की भांति) पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध–उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शोध उपाध उपरान्त शोध कार्यो में भाग लेने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना विनियम–2007 लागू की गयी है

इसका विस्तृत विवरण कार्यालय जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर से प्राप्त कर सकते हैं।

म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ–8–1/2007/54–1 भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2008

(2) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना :

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी) के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना लागू की गयी है जिसमें कक्षा 11वीं से पी.एच.डी. एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रतिभावान अल्पसंख्यक छात्रों को निर्धारित संस्था में छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। जिन संस्थाओं में उक्त वर्ग के छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लिये अध्ययनरत् हैं उन्हें इस सम्बन्ध मे विस्तृत नियमावली संलग्न कर पूर्व में भेजी गई है जिसका अध्ययन कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

(3) अल्पसंख्यक विद्यार्थीयों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समयावधि में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग में जमा करें।

(संचालनालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/अ.स./07/2725 भोपाल, दिनांक 05.01.2008)

राजस्व विभाग – अनुविभागिय अधिकारी अपने क्षेत्रार्न्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के जाति प्रमाण–पत्र जनमित्र समाधान केन्द्रों पर तथा व्यापक शिविर लगाकर माह जुलाई से अभियान चलाकर जारी करेगें जिससे छात्र–छात्राएं जाति–प्रमाण के लिए परेशान न हों। अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार अपने विकास खण्ड में आने वाली शासकीय/अशासकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समयसीमा में पात्र छात्र–छात्रोंओं को छात्रवृति का वितरण किया जा रहा हैं अथवा नहीं विशेष दल गठित कर जांच करेगें तथा की गई कार्यवाही से अवगत करायेगें।

(आकाश त्रिपाठी)
कलेक्टर
जिला–ग्वालियर

ADIM-RK